उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन प्रथम तल मोथरोवाला देहरादून 248001
फोन/फैक्स : 0135–2532619 ई–मेल–ceo_uldb@rediffmail.com वेबसाइट www.uldb.org

पत्रांक 915 /यू.एल.डी.बी/रिवाईज कृ0गर्भाधान शर्ते पत्रा. /2021–22/ दिनांक 14 जुलाई 2021

ई–मेल/डाक द्वारा

मैत्री चयन व प्रशिक्षण विषयक
–:संशोधित परिपत्रः (2021–22)

(Multipurpose Artificial Insemination Technicians in Rural India (Maitris)
(बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता)

इस कार्यालय के पत्र संख्या 1905/यू.एल.डी.बी./रिवाईज कृ.गर्भा. शर्ते पत्रा./दिनांक 14 अक्टूबर 2020 के द्वारा योजना अन्तर्गत उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री/कृत्रि गर्भाधान कार्यकर्ता) राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड पशुधन साथी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री) विषयक संशोधित शर्ते एवं नियमावाली एवं आवेदन प्रारूप निर्गत किया गया था। जिसके अनुसार आतिथि तक कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण विषयक आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

इसी कम मे सर्व साधारण को सादर सूचित करना है भारत सरकार , पशुपालन ,मत्स्य एवं डेयरी मन्त्रालय नई दिल्ली की गाईड लाईन संख्या/ 3-91/2019-AHT (RGM) दिनांक 15 सितम्बर 2020 नई दिल्ली के कम मे इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 1905/यू.एल.डी.बी./रिवाईज कृ.गर्भा. शर्ते पत्रा./दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को एतद् द्वारा संशोधित/अतिकमित किया जाता है। अतः अब संशोधित शर्तो/नियमावली के अनुसार ही कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही प्राप्त किये जायेंगे। इस प्रकार निम्नवत् कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण सम्बन्धी संशोधित शर्ते/नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से दूसरे कृत्रिम गर्भाधान स्थल की दूरी **अब 05 किमी** निर्धारित की जाती है।

मैत्री प्रशिक्षण हेतु शर्ते/नियमावली एवं आवेदन का प्रारूप

उददेश्यः– यू.एल.डी.बी. द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के इच्छुक बेरोजगार नवयुवकों/युवतियों को कृत्रिम गर्भाधान कार्य को स्वरोजगार के रूप में अपनाने वाले अभ्यर्थियों हेतु गाय/भैंस में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होने के साथ–साथं जिस स्थान/गांव में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रारम्भ करना चाहता है, उसका वहां का भी स्थायी निवासी होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की न्यूनतम् आयु 18 से कम न हो, एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगी। यू.एल.डी.बी. के माध्यम से 03 से 04 माह का कृत्रिम गर्भाधान कार्य का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जो अभ्यर्थी अपने गृह क्षेत्र के उस स्थान द्वारा गांव पर मैत्री के रूप में कार्य करेगा।

1– प्रशिक्षण अवधिः– एक माह का कक्ष प्रशिक्षण व शेष प्रयोगात्मक व व्यवहारिक प्रशिक्षण

2–प्रशिक्षण संस्थान – क– यू0एल0डी0बी0 प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक ऋषिकेश देहरादून
ख– गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पन्तनगर उधम सिंह नगर। (प्रस्तावित)

3– प्रशिक्षण व्ययः– RGM गाईड लाईन के अनुसार यू.एल.डी.बी. द्वारा वहन किया जायेगा ।

क्रमश–02 पर

12. किसी भी प्रशिक्षणार्थी के सम्बन्ध में उनके द्वारा दी गयी सूचना असत्य पाये जाने की दशा म प्राशक्षण निरस्त किये जाने एवं बहुउददेशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री)के रूप में मान्यतानिरस्त करने का पूर्ण अधिकार, यू.एल.डी.बी. को होगा।

13. चयन समिति आवेदन पत्र पर इस आशय का प्रमाण पत्र भी देगी कि जहां पर आवेदक द्वारा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने हेतु प्रशिक्षण की मांग की गयी है वह उसी ग्राम सभा/न्याय पंचायत का स्थानीय – निवासी है। त्रुटिपूर्ण एवं गलत संस्तुति किये गये आवेदन पत्रों की संस्तुति हेतु समिति उत्तरदायी होगी तथा ऐसे आवेदन पत्रों को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

16. यदि किसी गांव/समिति से एक ही कार्य स्थल के लिये एक अथवा एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो अधिकतम् शैक्षिक योग्यता (हाईस्कूल) की मैरिट/आयु आदि के आधार पर उनमे से एक ही आवेदन पत्र को स्वीकार करने तथा शेष को अस्वीकार करने का अधिकार यू.एल.डी.बी.के पास सुरक्षित रहेगा।

17. सम्बन्धित मैत्री को जमानत राशि के रूप मे ₹ 2000.00 की राशि बैंक ड्राफ्ट जो यू.एल.डी.बी.के नाम देहरादून मे देय हो जमा करानी होगी,जो दो वर्ष के सफल केन्द्र संचालन के उपरान्त कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को वापस कर दी जायेगी।

16. यू.एल.डी.बी. द्वारा मैत्री को प्रशिक्षणोपरांत ए0आई0किट् भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी। तथा सम्बन्धित मैत्री द्वारा ₹100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र (एम.ओ.यू.) करना होगा। तथा कृत्रिम गर्भाधान सामग्री, मैत्री कार्यकर्ता के पास यू.एल.डी.बी.की सम्पत्ति के रूप मे कार्य करने हेतु उपलब्ध रहेगी । जिसे सुरक्षित व व्यवस्थित रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मैत्री का होगा।

17. प्रशिक्षणोपरांत ऐसे मैत्री को यू.एल.डी.बी. में अपना पंजीकृत कराना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹250.00 (18 प्रतिशत जी.एस.टी.अतिरिक्त) यू.एल.डी.बी.को देहरादून में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा) सम्बन्धित मैत्री को वहन करना होगा। तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को गौ एवं महिषवंषीय प्रजनन प्राधिकरण मे भी पंजीकरण पृथक से करना होगा। साथ ही यू.एल.डी.बी. द्वारा तैयार किया गया अनुबन्ध/एग्रीमेंट भी ₹100.00 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा ।

18. प्रशिक्षित व्यक्ति को मैत्री कहा जायेगा, और वे अपने क्षेत्र में लाभार्थियों/पशुपालकों के सच्चे हितैषी/मित्र एवं स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे। तथा उनके द्वारा राज्य की ब्रीडिंग पॉलिसी के अनुरूप कृ.गर्भा. कार्य किया जायेगा जिसका उल्लघंन करने पर पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है ।

19. यू.एल.डी.बी. द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का पालन न करने वाले बहुउददेशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री) का प्रशिक्षण के रूप में मान्यता समाप्त करने का अधिकार यू.एल.डी.बी. का होगा।

21. आवेदक द्वारा प्रशिक्षण हेतु दिये गये तथ्य यदि असत्य पाये जाते है तो मैत्री की मान्यता बोर्ड द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

21. मैत्री द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप पर अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, मूल पत्राचार का पता आदि सहित अपना संपूर्णविवरण/पूर्ण बायोडेटा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से यू.एल.डी.बी. को उपलब्ध कराया जायेगा।

24. प्रशिक्षण प्राप्त करने का तात्पर्य यह नही है कि प्रशिक्षणार्थी को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सामग्री प्राप्त हो जायेगी , उसको नियमानुसार ही कृत्रिम गर्भाधान सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

25. मैत्री मात्र यू0एल0डी0बी0 से उत्पादित अतिहिमीकृत वीर्य का ही उपयोग करेगे। अन्यथा की स्थिति मे स्वःरोजगारी का पंजीकरण तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

24. प्रशिक्षित मैत्री मात्र कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करेगे, और नियमित रूप से कृत्रिम गर्भाधान की मासिक प्रगति रिपोर्ट यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय को प्रत्येक दशा मे प्रतिमाह उपलब्ध करायेगे ऐसा न करने पर उनके केन्द्र की इनपुटस आपूर्ति बन्द करने की कार्यवाही की जा सकती है । जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता का होगा। मैत्री द्वारा पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्य के अतिरिक्त कोई भी तकनीकी कार्य अवैधानिक होगा जिसकी पुष्टि होने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा ।

25. मैत्री द्वारा बिना अनुमति के कार्य से पृथक होने पर उसको उपलब्ध करायी गयी कृत्रिम गर्भाधान सामग्री वापस करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की क्षतिपूर्ति के रूप मे रूपये 10000.00 (दस हजार मात्र) यू0एल0डी0बी0 को भुगतान करना होगा।

26. मैत्री द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भवन की विस्तृत जानकारी यू.एल.डी.बी. मुख्यालय को देनी होगी और मैत्री अपने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के स्थल पर नाम की एक पठनीय बोर्ड लगायेगा जिसमे मैत्री का नाम व मोबाईल नम्बर अंकित होगा। जिसका निरीक्षण यू.एल.डी.बी./पशुपालन विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी दिवस मे किया जा सकता है ।

क्रमश–04 पर

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डवलपमन्ट बा।ड

पशुधन भवन प्रथम तल, मोथरोवाला, देहरादून –248001
फोन/फैक्स : 0135–2532619 ई–मेल -ce ouldb2019@gmail.com वेबसाइट www.uldb.org.

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अन्तर्गत
मैत्री चयन हेतु आवेदन पत्र (संशोधित– (2021–22)
(Multipurpose Artificial Insemination Technicians in Rural India)
बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री)

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. जन्म तिथि : .....
4. मूल निवास का पता– ग्राम/समिति : .....
5. पो.आ..... विकासखण्ड.....
6. जनपद : ..... पिन कोड : .....
7. सम्पर्क हेतु दूरभाष/मोबाईल नम्बर : .....
8. आधार नं0 .....
9. सामाजिक स्थिति– सामान्य/पिछड़ी जाति/अनु.जाति/अनु. जनजाति
10. आर्थिक स्थिति– एपीएल/ बीपीएल
11. शैक्षिक योग्यता :

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम फोटो

क्र.स.	शैक्षिक योग्यता	संस्था/कालेज विश्वविद्यालय का नाम	विषय	श्रेणी	प्रतिशत
1					
2					
3					
4					

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएं सत्य हैं। मै ₹2000.00 जमानत राशि के रूप में यू.एल.डी.बी. के पक्ष मे जमा कर स्वेच्छा से स्वरोजगार हेतु चार माह का गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान विषयक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ तथा बहुउददेशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री) के रूप में पंजीकरण करने हेतु प्रशिक्षण के उपरान्त यू.एल. डी.बी. के पक्ष में ₹250.00 (18 प्रतिशत GSTअतिरिक्त) का बैंक ड्राफ्ट एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु एक सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं अन्य शर्तो की गारन्टी हेतु फिडैलिटी बॉन्ड/बीमा पालसी देने के लिये सहमत/तत्पर हूँ। कृपया मेरा आवेदन स्वीकार करने की कृपा करे।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी समस्त जानकारी सत्य है, किसी जानकारी के असत्य पाये जाने की दशा में बोर्ड द्वारा मेरा प्रशिक्षण/ बहुउददेशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री) के रूप में पंजीकरण निरस्त किये जाने पर समस्त उत्तरदायित्व मुझ स्वंय का होगा।

दिनांक : .....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

संलग्न :
1–शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
2–मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
3–आधार कार्ड की छायाप्रति ।

चयन समिति की संस्तुति मोहर एवं हस्ताक्षर सहित

1– आवेदक गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान विषयक मैत्री प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य है, जिसे चार माह का सन्दर्भित प्रशिक्षण देने की संस्तुति की जाती है।

2– प्रशिक्षण उपरान्त आवेदक को ..... .(स्थान का नाम) में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करने हेतु इनपुटस वितरण की संस्तुति की जाती है क्योंकि इस स्थान के 05 किलोमीटर की दूरी तक कोई कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थान तक वाहन जाने हेतु पक्का मार्ग उपलब्ध है तथा स्थान उत्तराखण्ड राज्य में ही स्थित है और उक्त स्थल तक वाहन जाने–आने हेतु प्रदेश की सीमा पार नहीं करनी होगी।

3–यह कि आवेदक जिस स्थान पर बहुउददेशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री) केन्द्र खोलने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है वह उसी स्थान/गांव का स्थायी निवासी है।

(ग्राम प्रधान) (पशु चिकित्साधिकारी) (मुख्य पशुचिकित्साधिकारी)

27. मैत्री कृत्रिम गर्भाधान के साथ–साथ अन्य केन्द्रीय योजनाओं के कियान्वयन मे सहयोग करेगे, किसी की कोई आपत्ति स्वीकार्य नही होगी।

28. मैत्री द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य की रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से INAPH पोर्टल एवं यू.एल.डी.बी. पर करना होगां।

29. मैत्री को यू.एल.डी.बी. द्वारा दी गयी कृत्रिम गर्भाधान सामग्री एवं उनके केन्द्र का रजिस्ट्रेशन किसी अ प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को देने का अधिकार यू.एल.डी.बी. का होगा। मैत्री द्वारा स्वंय सामग्री क हस्तान्तरण किया जाना अवैध होगा ।

संलग्नक : संशोधित कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण चयन
आवेदन पत्र का प्रारूप।

ह0/–

(डा0 प्रेम कुमार)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

पत्रांक 815 /यू.एल.डी.बी./रिवाई0. कृ.गर्भा0 प्रशि0 शर्ते/2020–21/दिनांक 14 जुलाई 2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप प्रबन्धक, सीमेन बैंक लालकुंआ (नैनीताल)।
2. अपर प्रबन्धक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश।
3. संयुक्त निदेशक, यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक–ऋषिकेश।
4. प्राचार्य, यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, कालसी देहरादून।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि आज के पश्चात, एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र सवे दूसरे केन्द्र से 05 किमी की दूरी मानक के अनुसार ही पत्र संस्तुत किये जाये।
6. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूं मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (IFAD-ILSP), उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS)विकास समिति 216, फेज–2, पंडितवाडी, देहरादून।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, जलागम प्रबन्ध, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. डा0 विशाल शर्मा , समन्वय आजीविका सहयोग परियोजना यू.एल.डी.बी. मुख्यालय ।
11. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. अपर मुख्य कार्यकम अधिकारी , बॉयफ नत्थनपुर जोगीवाला मसूरी रिंग रोड दे0दून।
13. निजी सचिव, मा0 मन्त्री जी , पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
14. सचिव पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून की सेवा मे सादर सूचनार्थ।

(डा0 प्रेम कुमार)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

4– कुल प्रशिक्षण सफलता से पूर्ण करने के उपरान्त राज्य के ऐसे राजकीय कृत्रिम
पर्याप्त ए.आई. हो रही हो, प्रशिक्षणार्थियो को– अलग–अलग 02 कार्यरत ए.आई. केन्द्रो पर
दिन) का फील्ड प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके लिये प्रशिक्षार्थियों को यू.एल.डी.बी. से ₹ 2000.00 भवन
रूप मे दिया जायेगा। इस राशि मे से रूपये 1000.00 प्रशिक्षण के लिये प्रस्थान करते समय और ₹ 1
प्रशिक्षण के अंत में सफल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र सम्बन्धित ए.आई. केन्द्रो से लाकर प्रशिक्षण केन्द्र पर उप
कराने पर दिया जायेगा।

5 14 दिन का अंतिम फील्ड प्रशिक्षण, प्रशिक्षार्थियो को स्वयं के खर्चे पर वहन करना होगा, जिसके लिये उन्हे उनके निवास स्थल/प्रस्तावित कार्य स्थल के निकटतम ए.आई. केन्द्र, जहां पर्याप्त ए.आई. हो रही हो, पर भेजा जायेगा।

6. प्रशिक्षणोपरांत जिन मैत्री को यू.एल.डी.बी. द्वारा RGM योजनान्तर्गत क्रायोकेन एवं अन्य उपकरण तथा आदि नि:शुल्क दिये जाने की दशा मे मैत्री द्वारा उपरोक्त सामग्री की समुचित गारन्टी यथा किसी बीमा कम्पनी से Fidelity Bond भरना होगा। क्रायोकेन एवं अन्य उपकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सामग्री नि:शुल्क अनुमन्य किये जाने का अधिकार, यू.एल.डी.बी. का होगा। बोर्ड द्वारा मैत्री को समस्त मापदण्डों पर उपयुक्त पाये जाने की दशा में ही नि:शुल्क सामग्री अनुमन्य किये जाने हेतु निर्णय लिया जायेगा जो अन्तिम होगा ।

7. यदि प्रशिक्षणार्थी को यू.एल.डी.बी. द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु कृत्रिम गर्भाधान उपकरण दिये जाने के पश्चात् सम्बन्धित मैत्री द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य न किये जाने की दशा में दी गयी समस्त सामग्री बोर्ड को वापस की जायेगी, जिस हेतु कुमायूं मण्डल के मैत्री द्वारा सामान वापसी सीमेन बैंक लालकुंआ (नैनीताल) में एवं गढ़वाल क्षेत्र के कार्यकर्ता अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश को की जायेगी। इस आशय का लिखित शपथ पत्र मैत्री एवं बोर्ड के मध्य किया जायेगा।

5. मैत्री द्वारा तरल नत्रजन व अतिहिमीकृत वीर्य, बोर्ड द्वारा निर्धारित दरो पर कय करना होगा। प्रारम्भिक 06 माह हेतु तरलनत्रजन व अवर्गीकृत वीर्य नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा।

6. सभी मैत्री पशुपालक के द्वार पर ₹ 100.00 प्रति ए0 आई. शुल्क की धनराशि को वसूल करके अपने पास रख सकेगे, जो उनके जीविका पार्जन का साधन होगा। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को कार्य (ए.आई) का अंकन केन्द्र पर रखी गयी पंजिका मे करना अनिवार्य होगा। मैत्री कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु शुल्क, कृषक से अनुमन्य सीमा तक ही लेने का अधिकार होगा इस कार्य के सापेक्ष मानदेय की मांग अधिकारिक रूप से मान्य नही होगी, जब तक कि शासन से इस सम्बन्ध मे कोई निर्णय न हो जाये।

7. इन मैत्री का कार्य स्थल उनके गृह क्षेत्र के मोटर मार्ग (रोडहेड) पर होना नितान्त आवश्यक है ताकि समय–समय पर यू.एल.डी.बी. के सचल तरल नत्रजन वाहन से नियमित रूप से प्रत्येक माह तरल नत्रजन, फ्रोजेन सीमेन स्ट्रा एवं अन्य ए.आई. उपकरणो की आपूर्ति सम्भव हो सके।

8. दुग्ध समितियों/महिला डेरी समितियों के प्रशिक्षार्थी भी ऐसी समिति में अपना मुख्यालय बनायेंगे, जो पक्की सड़क(मोटर मार्ग) पर स्थित हो,जिससे वहां तरल नत्रजन, सीमेन स्ट्रा एवं अन्य ए.आई. इनपुट्स की आपूर्ति सुगमता से हो सके।

10. यह भी सुस्पष्ट करना है कि ऐसे प्रशिक्षार्थी यू.एल.डी.बी. की ओर से मैत्री के रूप में प्रशिक्षित किये जायेगे और उसी रूप में अपना कार्य भी सम्पादित करेंगे तथा वह यू.एल.डी.बी. अथवा पशुपालन विभाग के कर्मचारी नहीं होंगे, न ही वे कभी विभाग मे समायोजन अथवा नियुक्ति का दावा करेंगे।

10. सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी तथा सम्बन्धित अग्रसारण अधिकारी अपने स्तर पर यह भी सुनिश्चित करेगें कि मैत्री के रूप में उनके कार्य क्षेत्र में कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में 750 एवं मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000 तक प्रजनन योग्य पशु (Breedable Cattle and Buffalo) अवश्य हों। नये केन्द्र की स्थापना पर यह ध्यान रखा जाये कि एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से दूसरे **कृत्रिम गर्भाधान की दूरी 05 किलोमीटर** से कम न हो। तथा सेवायोजन कार्यालय मे पंजीकृत बेरोजगार को वरीयता दी जायेगी ।

11– मैत्री के चयन हेतु **ग्राम प्रधान/सम्बन्धित क्षेत्र,के पशुचिकित्साधिकारी एवं जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अधिकृत होगे।** जिनके आवेदन अनुमोदन उपरान्त यू.एल.डी.बी.को सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रेषित किये जायेगे। प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं प्रशिक्षण की समस्त शर्तो को पूर्ण करने की दशा में ही प्रशिक्षण हेतु स्वीकार किये जाने का अधिकार यू.एल.डी.बी. का होगा।

क्रमश–03 पर

4– कक्ष प्रशिक्षण सफलता से पूर्ण करने के उपरान्त राज्य के ऐसे राजकीय कृत्रिम पर्याप्त ए.आई. हो रही हो, प्रशिक्षणार्थियो को– अलग–अलग 02 कार्यरत ए.आई. केन्द्रो पर दिन) का फील्ड प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके लिये प्रशिक्षार्थियों को यू.एल.डी.बी. से ₹ 2000.00 भवन रूप मे दिया जायेगा। इस राशि मे से रूपये 1000.00 प्रशिक्षण के लिये प्रस्थान करते समय और ₹ 1(प्रशिक्षण के अंत में सफल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र सम्बन्धित ए.आई. केन्द्रो से लाकर प्रशिक्षण केन्द्र पर उप(कराने पर दिया जायेगा।

5 14 दिन का अंतिम फील्ड प्रशिक्षण, प्रशिक्षार्थियो को स्वयं के खर्चे पर वहन करना होगा, जिसके लिये उन्हे उनके निवास स्थल/प्रस्तावित कार्य स्थल के निकटतम ए.आई. केन्द्र, जहां पर्याप्त ए.आई. हो रही हो, पर भेजा जायेगा।

6. प्रशिक्षणोपरांत जिन मैत्री को यू.एल.डी.बी. द्वारा RGM योजनान्तर्गत क्रायोकेन एवं अन्य उपकरण तथा आदि निःशुल्क दिये जाने की दशा मे मैत्री द्वारा उपरोक्त सामग्री की समुचित गारन्टी यथा किसी बीमा कम्पनी से Fidelity Bond भरना होगा। क्रायोकेन एवं अन्य उपकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सामग्री निःशुल्क अनुमन्य किये जाने का अधिकार, यू.एल.डी.बी. का होगा। बोर्ड द्वारा मैत्री को समस्त मापदण्डों पर उपयुक्त पाये जाने की दशा में ही निःशुल्क सामग्री अनुमन्य किये जाने हेतु निर्णय लिया जायेगा जो अन्तिम होगा ।

7. यदि प्रशिक्षणार्थी को यू.एल.डी.बी. द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु कृत्रिम गर्भाधान उपकरण दिये जाने के पश्चात् सम्बन्धित मैत्री द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य न किये जाने की दशा में दी गयी समस्त सामग्री बोर्ड को वापस की जायेगी, जिस हेतु कुमायूं मण्डल के मैत्री द्वारा सामान वापसी सीमेन बैंक लालकुंआ (नैनीताल) में एवं गढ़वाल क्षेत्र के कार्यकर्ता अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश को की जायेगी। इस आशय का लिखित शपथ पत्र मैत्री एवं बोर्ड के मध्य किया जायेगा।

5. मैत्री द्वारा तरल नत्रजन व अतिहिमीकृत वीर्य, बोर्ड द्वारा निर्धारित दरो पर क्रय करना होगा। प्रारम्भिक 06 माह हेतु तरलनत्रजन व अवर्गीकृत वीर्य निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।

6. सभी मैत्री पशुपालक के द्वार पर ₹ 100.00 प्रति ए0 आई. शुल्क की धनराशि को वसूल करके अपने पास रख सकेगे, जो उनके जीविका पार्जन का साधन होगा। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को कार्य (ए.आई) का अंकन केन्द्र पर रखी गयी पंजिका मे करना अनिवार्य होगा। मैत्री कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु शुल्क, कृषक से अनुमन्य सीमा तक ही लेने का अधिकार होगा इस कार्य के सापेक्ष मानदेय की मांग अधिकारिक रूप से मान्य नही होगी, जब तक कि शासन से इस सम्बन्ध मे कोई निर्णय न हो जाये।

7. इन मैत्री का कार्य स्थल उनके गृह क्षेत्र के मोटर मार्ग (रोडहेड) पर होना नितान्त आवश्यक है ताकि समय–समय पर यू.एल.डी.बी. के सचल तरल नत्रजन वाहन से नियमित रूप से प्रत्येक माह तरल नत्रजन, फोजेन सीमेन स्ट्रा एवं अन्य ए.आई. उपकरणो की आपूर्ति सम्भव हो सके।

8. दुग्ध समितियों/महिला डेरी समितियों के प्रशिक्षार्थी भी ऐसी समिति में अपना मुख्यालय बनायेंगे, जो पक्की सड़क(मोटर मार्ग) पर स्थित हो,जिससे वहां तरल नत्रजन, सीमेन स्ट्रा एवं अन्य ए.आई. इनपुट्स की आपूर्ति सुगमता से हो सके।

10. यह भी सुस्पष्ट करना है कि ऐसे प्रशिक्षार्थी यू.एल.डी.बी. की ओर से मैत्री के रूप में प्रशिक्षित किये जायेगे और उसी रूप में अपना कार्य भी सम्पादित करेंगे तथा वह यू.एल.डी.बी. अथवा पशुपालन विभाग के कर्मचारी नहीं होंगे, न ही वे कभी विभाग मे समायोजन अथवा नियुक्ति का दावा करेंगे।

10. सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी तथा सम्बन्धित अग्रसारण अधिकारी अपने स्तर पर यह भी सुनिश्चित करेगें कि मैत्री के रूप में उनके कार्य क्षेत्र में कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में 750 एवं मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000 तक प्रजनन योग्य पशु (Breedable Cattle and Buffalo) अवश्य हों। नये केन्द्र की स्थापना पर यह ध्यान रखा जाये कि एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से दूसरे कृत्रिम गर्भाधान की दूरी 05 किलोमीटर से कम न हो। तथा सेवायोजन कार्यालय मे पंजीकृत बेरोजगार को वरीयता दी जायेगी ।

11– मैत्री के चयन हेतु ग्राम प्रधान/सम्बन्धित क्षेत्र,के पशुचिकित्साधिकारी एवं जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अधिकृत होगे। जिनके आवेदन अनुमोदन उपरान्त यू.एल.डी.बी.को सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रेषित किये जायेगे। प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं प्रशिक्षण की समस्त शर्तो को पूर्ण करने की दशा में ही प्रशिक्षण हेतु स्वीकार किये जाने का अधिकार यू.एल.डी.बी. का होगा।

क्रमश–03 पर